ORIGINAL RESEARCH PAPER

Public Administration

"पंचायती राज कार्मिकों के समक्ष ई.शासन के अनुप्रयोग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन "

KEY WORDS: पंचायती राज, ई. शासन, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, जन सहभागिता, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक कार्य, बुनियादी आवश्यकताएं।

अविनाश चन्द्र शमा सहायक आचार्य, लोक प्रशासन), राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

ABSTRACT

भारत जैसे संघात्मक शासन प्रणाली से युक्त देश में स्थानीय स्वशासन (ग्रामीण एवं नगरीय) की अवधारणा त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का अपरिहार्य अंग है। संघीय स्तर पर केन्द्र सरकार, प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर (तृतीय) स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन जनसाधारण की मूलभूत एवं वांछनीय आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है। स्थानीय शासन के दो स्वरूपों – ग्रामीण एवं नगरीय में से ग्रामीण स्थानीय शासन अर्थात् पंचायती राज को वर्तमान में भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है।

भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन (पंचायती राज) की संस्थाएँ सदैव से ही फलीभूत रही है। 'पंच परमेश्वर' की अवधारणा से युक्त पंचायती राज प्रणाली की विकास यात्रा का विहंगावलोकन किया जाए तो यह सुस्पष्ट होता है कि भले ही अपने अतीत में पंचायती राज व्यवस्था किसी भी स्वरूप में स्थापित रही हो, यह भारतीय जनमानस के पटल पर सदैव विराजित रही है। वस्तुतः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज दोनों एक–दूसरे के सम्पूरक एवं पर्याय हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो स्थानीय शासन के कार्यों एवं निर्णयों में जन सहभागिता को सुनिश्चित करती है।

यह शोध प्रमुखतः दो महत्त्वपूर्ण पहलूओं पंचायती राज एवं ई.शासन पर केन्द्रित है, अतः पंचायती राज के साथ–साथ ई.शासन की अवधारणा की जानकारी प्रदान करना अपरिहार्य है। सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित सूचनाएँ एवं सेवाएँ ऑनलाईन कम्प्यूटरीकृत होना तथा सरकार द्वारा सूचना–संचार प्रौद्योगिकी का प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग करना ई.शासन का व्यावहारिक स्वरूप है।

ई. शासन योजना का मूल मंतव्य यह है – "सभी सरकारी सेवाओं की पहुंच स्थानीय स्तर पर जन साधारण तक सुनिश्चित हो तथा क्षमता, पारदर्शिता एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के साथ आमजन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों।"

प्रस्तुत शोध पंचायती राज कार्मिकों के समक्ष ई.शासन के अनुप्रयोग के दौरान आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना है। इन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में ई.शासन के अनुप्रयोग में कार्मिकों की क्या भूमिका रही है।

प्रस्तावना

पंचायत राज की जो स्थिति रही है उसकी पृष्ठभूमि को कई चरणों में रखकर समझा जा सकता है :– जैसे प्रथम चरण–1959 से 1966, द्वितीय चरण–1967 से 1977, तृतीय चरण–1978 से 1993 तथा चतुर्थ चरण–1993 से अब तक। प्रथम चरण के अन्तर्गत बलवन्त राय मेहता समिति के सुझावों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद देश के सभी भागों में पंचायती राज की स्थापना के प्रति भारी उत्साह था। द्वितीय चरण– 1966 के बाद पंचायती राज के महत्व में कमी आने लगी। अगले 10 वर्षों को अगर पंचायती राज की महत्वहीन स्थिति का समय कहा जाये तो गलत नहीं होगा। तृतीय चरण– 1978 के बाद पंचायती राज के पुर्नजीवन का समय आया। इस दिशा में सोच की पृष्ठभूमि में अशोक मेहता समिति रिपोर्ट (1978) का भारी महत्व था। यद्यपि यह रिपोर्ट स्वयं उस सरकार (जनता सरकार) ने नहीं की जिसने इस समिति का गठन किया।

फिर भी इस रिपोर्ट का पंचायती राज को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा अनुकूल प्रभाव हुआ। चतुर्थ चरण–73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित होने के बाद के वर्षों को भारत में पंचायती राज के चौथे चरण में रखा गया। अधिनियम पारित होते ही लगभग सभी राज्यों ने अपने–अपने अधिनियमों में संशोधन किए और पंचायती राज के ढाँचे काफी सुधार हुआ। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक स्तर प्रदान करने के फलस्वरूप इनके प्रकृति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया।

स्थानीय स्वशासन से आशय शासन के उस तृतीय स्तर (स्थानीय सरकार) से है जो नगरीय या ग्रामीण स्थानीय जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है। वर्तमान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में जो नवीन प्रवृत्तियां मुखरित हुई हैं, उनमें से एक है – ई.शासन। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी नाना प्रकार की तकनीकों यथा – इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर एवं दूरसंचार इत्यादि का समेकित नाम है जो सूचनाओं के संचरण, प्राप्ति, संग्रहण एवं विश्लेषणयुक्त विविध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी इत्यादि आयामों से सम्बद्ध है।

प्रस्तावित शोध अध्ययन पंचायती राज कार्मिकों के समक्ष ई.शासन के अनुप्रयोग के दौरान आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना है। चूँकि यह शोध प्रमुखतः दो महत्त्वपूर्ण पहलूओं पंचायती राज एवं ई.शासन (राज. में बीकानेर जिले के विशेष संदर्भ में) कार्मिकों की बाधाओं पर केन्द्रित है।

अध्ययन की आवश्यकता :

प्रस्तावित शोध अध्ययन से राजस्थान के बीकानेर जिले की पंचायती राज प्रणाली में ई.शासन के अनुप्रयोग से ग्रामीणजनों को काफी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। पंचायती राज में ई.शासन के अनुप्रयोग से प्रशासनिक कृत्य सरलता एवं शीघ्रता से निष्पादित हो सकेंगे। ई.गवर्नेंस का महत्व को इसलिए भी सर्वसिद्ध है कि इसके सफलतापूर्वक प्रयोग से पंचायती राज संस्थाएँ शीघ्र निर्णय ले सकेंगी तथा ग्रामीणजनों के कार्य शीघ्र हो सकेंगे। आमजन को शीघ्र एवं अच्छी सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उचित प्रशिक्षण देकर कार्मिकों में दक्षता को विकसित किया जा सकेगा। इस प्रकार प्रस्तुत शोध का नवीनतम सर्वेक्षण निकट भविष्य में शोधार्थियों, विद्यार्थियों, कार्मिकगण तथा ग्रामीणजनों हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। यह शोध अध्ययन नवीनता लिए हुए है। अतः शोधकर्ता के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है।

शोध प्रश्न

पंचायती राज व्यवस्था में ई.शासन का अनुप्रयोग पंचायती राज कार्मिकों की दक्षता पर भी निर्भर होता है। पंचायती राज व्यवस्था में ई.शासन के सफलतापूर्वक प्रयोग से क्या–क्या उपलब्धियां हासिल की जा सकती है? वर्तमान में ई.शासन की उन्नति में पंचायती राज कार्मिकों के समक्ष ऐसे कौनसे बाधक तत्व हैं तथा उनका समाधान कैसे किया जा सकता है ?

आज तक पूर्व में निम्नलिखित शोध हुए हैं–

1. पंकज शर्मा की पुस्तक ई.गवर्नेंस : द न्यू एज गवर्नेंस (2013) सरकारी संरचनाओं एवं प्रयासों में इंटरनेट तकनीक द्वारा नागरिकों को उत्तम प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने के संदर्भ में विरचित है।
2. ई.गवर्नेंस : ए कॉम्प्रेहेन्सिव फ्रेमवर्क नामक शोधपरक पुस्तक में लेखक डी.एन. गुप्ता ने भारत में ई.शासन सम्बन्धी परियोजनाओं के क्रम में एक नैदानिक अध्ययन सहित ई.शासन के उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया है।
3. प्रख्यात वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इण्डिया (2014) में अपने व्यापक शासकीय अनुभव तथा सरकार के दूरगामी दृष्टिकोण को अभिहित किया है।
4. पंजाबी विश्वविद्यालय, मोहाली (चण्डीगढ़) की सहायक आचार्य अम्बिका भाटिया एवं शोधार्थी छवि किरण ने पैंट्श्रठड में रूरल डिवेलपमेंट थ्रू ई. गवर्नेंस इनिशियेटिव्ज इन इण्डिया नामक शोधालेख में भारत में ई.गवर्नेंस सम्बन्धी नवाचारों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लागू किये जाने के क्रम में शोध प्रस्तुत किया है।
5. अरूण मनोहरन एवं मार्क हॉल्जर द्वारा सम्पादित पुस्तक एक्टिव सिटीजन पार्टीसिपेशन इन ई.गवर्नमेंट : ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव के 16वें अध्याय रूरल ई.गवर्नेंस थ्रू द पंचायती राज इनिशियेटिव्ज इण्डिया : प्रोसपेरस एण्ड चैलेंजेज में शोधार्थी मलाथी सुब्रह्मणियम ने पंचायती राज संस्थाओं में ई.शासन के अनुप्रयोग में आ रहे बाधक तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

शोधकर्ता को उपर्युक्त शोध अध्ययनों से पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में ई.शासन के अनुप्रयोग के दौरान पंचायती राज कार्मिकों की आवश्यकताओं तथा उनकी समस्याओं को समझने हेतु आज तक कोई शोध कार्य नहीं हुए है। अतः शोधकर्ता ने उपर्युक्त शोध प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए यह शोध कार्य किया जो अपने आप में नवीनता लिए हुए है।

उद्देश्य :

अध्ययन का उद्देश्य :

पंचायती राज व्यवस्था में ई.शासन के अनुप्रयोग के दौरान पंचायती राज कार्मिकों की समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने हेतु अध्ययन करना। पंचायती राज व्यवस्था में ई.शासन का अनुप्रयोग करने की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालना। पंचायती राज व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों एवं आमजन द्वारा अपनाए जा रहे ई.शासन की विभिन्न आयामों एवं नवीन प्रयोगों को विश्लेषित करना। पंचायती राज में ई.शासन के अनुप्रयोग की क्रियान्विति के दौरान कार्मिकों के समक्ष आ रहे बाधक तत्त्वों का चिन्हीकरण करना। पंचायती राज एवं ई.शासन के सुचारू क्रियान्वयन हेतु कार्मिकों की बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव आमंत्रित करना।

परिकल्पनाः

प्रस्तावित शोध कार्य के संदर्भ में शोधार्थी की जो प्राक्कल्पना/परिकल्पना मनोमस्तिष्क में रही है, वह प्रमुखतः शोधार्थी के अनुभव तथा सामान्य

सिद्धांतों पर आधारित है–
1. पंचायती राज व्यवस्था में जितनी उत्तम प्रकार की आधारभूत संरचना होती है, उतना ही बेहतर कार्य निष्पादन संभव होता है।
2. पंचायती राज व्यवस्था में ई.शासन के अनुप्रयोग की सफल क्रियान्विति तभी संभव है जब कार्मिकों को सम्पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएं।
3. पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जबकि ई.शासन का व्यावहारिक अनुप्रयोग ग्रामीणजन द्वारा किया जाए।

शोध विधि : –
सर्वेक्षण विधि – विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। क्योंकि यह विधि इस प्रकार के शोध कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

न्यादर्श –
न्यादर्श किसी भी अनुसंधान की आधारशिला होता है। यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी, अनुसंधान के परिणाम उतने ही विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होंगे तभी न्यादर्श को उपयुक्त माना जाता है। शोधकर्ता ने अपने अनुसंधान में न्यादर्श हेतु यादृच्छिक विधि को अपनाया है तथा बीकानेर जिले की सभी पंचायत समितियों के लोगों एवं कार्मिकों को लेने की योजना बनायी।

न्यादर्श चयन विधि –
शोधकर्ता ने शोध अध्ययन के लिए बीकानेर जिले की सभी पंचायत समितियों से न्यादर्श का चयन की योजना बनायी।

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श का चयन
शोधकर्ता के शोध विषय को दृष्टिगत रखते हुए बीकानेर जिले की सभी 07 पंचायत समितियों से प्रतिदर्शन लिया। इस हेतु न्यादर्श आकार इस प्रकार प्रस्तावित है–
1. पंचायती राज कार्मिकों (उत्तरदाताओं) की संख्या 60

प्रयुक्त उपकरणों के नाम एवं विवरण – (स्व निर्मित)
1. पंचायती राज कार्मिकों की प्रतिक्रियाओं हेतु साक्षात्कार मय अनुसूची
2. पंचायती राज एवं ई.शासन के सम्बन्ध में कार्मिकों के सुझाव

प्रयुक्त सांख्यिकी :–
प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु संकलित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण व विवेचन में प्रतिशत सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। प्रतिशत सूत्र के आधार पर उपर्युक्त उपकरणों के प्रश्नों के प्रत्युत्तरों का प्रतिशत निकाल कर सर्वाधिक प्रतिशत वाले प्रत्युत्तरों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा । प्रतिशत सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रत्युत्तरों का विश्लेषण किया।

कार्मिकों की बाधाओं (चुनौतियों) के कथन तथा उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया–

आपको अपने कार्यस्थल पर पंचायती राज व्यवस्था एवं ई.शासन के सम्बन्ध में राजनीतिक व्यक्तियों की तरफ से क्या–क्या बाधाएं आती है?

आरेख

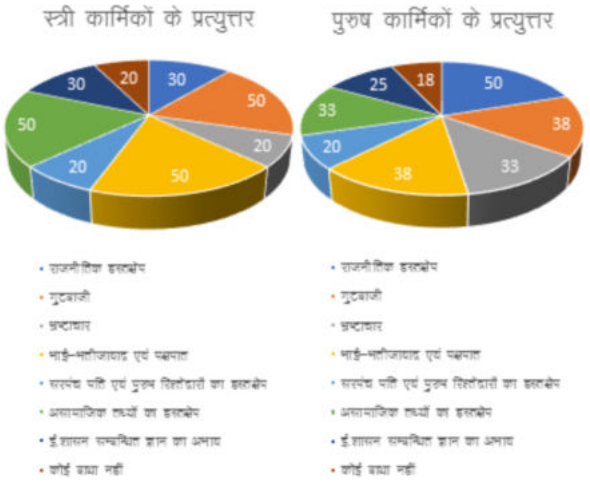

तालिका

क्र. सं.	*कार्मिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया*	*स्त्री कार्मिकों के प्रत्युत्तर*	*प्रतिशत*	*पुरुष कार्मिकों के प्रत्युत्तर*	*प्रतिशत*
1.	*राजनीतिक हस्तक्षेप*	*6*	*30*	*20*	*50*
2.	*गुटबाजी*	*10*	*50*	*15*	*38*
3.	*भ्रष्टाचार*	*4*	*20*	*13*	*33*
4.	*भाई–भतीजावाद एवं पक्षपात*	*10*	*50*	*15*	*38*
5.	*सरपंच पति एवं पुरुष रिश्तेदारों का हस्तक्षेप*	*4*	*20*	*8*	*20*
6.	*असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप*	*10*	*50*	*13*	*33*
7.	*ई.शासन सम्बन्धित ज्ञान का अभाव*	*6*	*30*	*10*	*25*
8.	*कोई बाधा नहीं*	*4*	*20*	*7*	*18*

स्त्रियों की संख्या (छ) त्र 20
पुरुषों की संख्या (छ) त्र 40

उपर्युक्त प्रश्न में उत्तरदाताओं ने एक से अधिक विकल्प का चयन किया है।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार कार्मिकों को अपने कार्यस्थल पर पंचायती राज व्यवस्था एवं ई.शासन के सम्बन्ध में राजनीतिक व्यक्तियों की तरफ से क्या–क्या बाधाएं आती है, के सम्बन्ध में लिए गए साक्षात्कार प्रश्न में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में 20 स्त्री कार्मिकों तथा 40 पुरुष कार्मिकों ने विभिन्न प्रत्युत्तर दिए। जिनमें से स्त्री कार्मिकों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में 30 प्रतिशत राजनीतिक हस्तक्षेप, 50 प्रतिशत गुटबाजी, 20 प्रतिशत भ्रष्टाचार, 50 प्रतिशत भाई–भतीजावाद एवं पक्षपात, 20 प्रतिशत सरपंच पति एवं पुरुष रिश्तेदारों का हस्तक्षेप, 50 प्रतिशत असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप, 30 प्रतिशत ई.शासन सम्बन्धित ज्ञान का अभाव, 20 प्रतिशत कोई बाधा नहीं के बारे में उत्तर प्राप्त हुए। इसी प्रकार 40 पुरुष कार्मिकों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में 50 प्रतिशत राजनीतिक हस्तक्षेप, 38 प्रतिशत गुटबाजी, 33 प्रतिशत भ्रष्टाचार, 38 प्रतिशत भाई–भतीजावाद एवं पक्षपात, 20 प्रतिशत सरपंच पति एवं पुरुष रिश्तेदारों का हस्तक्षेप, 33 प्रतिशत असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप, 25 प्रतिशत ई.शासन सम्बन्धित ज्ञान का अभाव, 18 प्रतिशत कोई बाधा नहीं के बारे में उत्तर प्राप्त हुए। इस प्रकार प्राप्त प्रत्युत्तरों से स्पष्ट है कि कार्मिकों को अपने कार्यस्थल पर पंचायती राज व्यवस्था एवं ई.शासन के सम्बन्ध में राजनीतिक व्यक्तियों की तरफ से कई प्रकार बाधाओं का सामाना करना पड़ता है। जिनमें स्त्री कार्मिकों को सर्वाधिक गुटबाजी, भाई–भतीजावाद तथा असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप तथा पुरुष कार्मिकों को सर्वाधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या का सामना करना पड़ता है।

ई.शासन द्वारा संचालित कार्यों के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव–

तालिका

क्र.सं.	*कार्मिकों द्वारा दिए गए सुझाव*	*स्त्री कार्मिकों के प्रत्युत्तर*	*प्रतिशत*	*पुरुष कार्मिकों के प्रत्युत्तर*	*प्रतिशत*
1.	*इन्टरनेट सुविधाओं का विस्तारीकरण*	*4*	*20*	*6*	*15*
2.	*दक्ष एवं कुशल कार्मिकों में अभिवृद्धि*	*2*	*10*	*5*	*13*
3.	*ग्रामीणजन के तकनीकी ज्ञान में अभिवृद्धि*	*2*	*10*	*4*	*10*
4.	*ई.पंचायत का प्रचार–प्रसार*	*5*	*25*	*6*	*15*
5.	*पर्याप्त कम्प्यूटर्स की उपलब्धता*	*4*	*20*	*5*	*13*
6.	*कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती*	*3*	*15*	*4*	*10*
7.	*कार्मिक एवं ग्रामीणजन में समन्वय*	*2*	*10*	*4*	*10*
8.	*सरपंच पति की भूमिका की समाप्ति*	*2*	*10*	*3*	*8*
9.	*साइबर सुरक्षा की सुनिश्चितता*	*2*	*10*	*3*	*8*

स्त्रियों की संख्या (छ) त्र 20
पुरुषों की संख्या (छ) त्र 40

आरेख 5.32

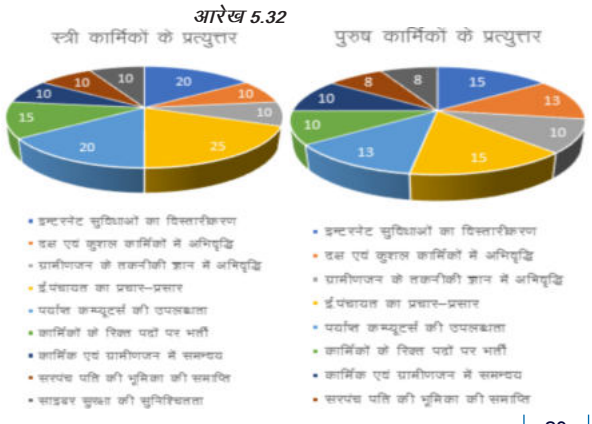

उपर्युक्त प्रश्न में उत्तरदाताओं ने एक से अधिक विकल्प का चयन किया है।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार कार्मिकों से ई.शासन द्वारा संचालित कार्यों के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गए। जिसके सम्बन्ध में कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए। इस सम्बन्ध में 20 स्त्री कार्मिकों तथा 40 पुरुष कार्मिकों ने विभिन्न सुझाव दिए। जिनमें से स्त्री कार्मिकों से प्राप्त सुझावों में 20 प्रतिशत इन्टरनेट सुविधाओं का विस्तारीकरण, 10 प्रतिशत दक्ष एवं कुशल कार्मिकों में अभिवृद्धि, 10 प्रतिशत ग्रामीणजन के तकनीकी ज्ञान में अभिवृद्धि, 25 प्रतिशत ई.पंचायत का प्रचार–प्रसार, 20 प्रतिशत पर्याप्त कम्प्यूटर्स की उपलब्धता, 15 प्रतिशत कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती, 10 प्रतिशत कार्मिक एवं ग्रामीणजन में समन्वय, 10 प्रतिशत सरपंच पति की भूमिका की समाप्ति, 10 प्रतिशत साइबर सुरक्षा की सुनिश्चितता के सुझाव प्राप्त हुए। इसी प्रकार पुरुष कार्मिकों से प्राप्त सुझावों में 15 प्रतिशत इन्टरनेट सुविधाओं का विस्तारीकरण, 13 प्रतिशत दक्ष एवं कुशल कार्मिकों में अभिवृद्धि, 10 प्रतिशत ग्रामीणजन के तकनीकी ज्ञान में अभिवृद्धि, 15 प्रतिशत ई.पंचायत का प्रचार–प्रसार, 13 प्रतिशत पर्याप्त कम्प्यूटर्स की उपलब्धता, 10 प्रतिशत कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती, 10 प्रतिशत कार्मिक एवं ग्रामीणजन में समन्वय, 8 प्रतिशत सरपंच पति की भूमिका की समाप्ति, 8 प्रतिशत साइबर सुरक्षा की सुनिश्चितता के सुझाव प्राप्त हुए। इस प्रकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्त्री कार्मिकों द्वारा सर्वाधिक ई.पंचायत का प्रचार–प्रसार एवं पुरुष कार्मिकों द्वारा इन्टरनेट सुविधाओं का विस्तारीकरण तथा ई.पंचायत का प्रचार–प्रसार करने हेतु सुझाव दिया गया।

उपर्युक्त सम्प्राप्तियों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जितनी उत्तम प्रकार की आधारभूत संरचना होती है, उतना ही बेहतर कार्य निष्पादन संभव होता है। पंचायती राज व्यवस्था की सफल क्रियान्विति तभी संभव है जबकि ई.शासन को अपनाया जाए तथा कार्मिकों की समस्याओं को दूर किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जबकि ई.शासन का व्यावहारिक अनुप्रयोग ग्रामीणजन द्वारा किया जाए तथा आमजन के जीवन का सरलीकरण तभी संभव होगा जब पंचायती राज संस्थाओं में ई.शासन को अपनाया जाए। परन्तु आज भी पंचायती राज में ई.शासन के सफल अनुप्रयोग में विद्युत् की अनुपलब्धता, सार्वजनिक सेवा केन्द्र पर इन्टरनेट का अभाव, स्थानीय जन प्रतिनिधि की उदासीनता, स्थानीय स्तर पर कार्मिकों की अनुपलब्धता, पंचायत द्वारा कार्य निष्पादन में विफलता आदि के कारण ग्रामीणजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही पंचायती राज कार्मिकों के सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं जिसके कारण पंचायती राज के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होता प्रतीत होता है, जिनमें तनाव, असहयोग व गुटबन्दी, अशिक्षा, भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि हैं। इस प्रकार कई बाधाएं एवं समस्याएं होते हुए भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज में ई.शासन का अनुप्रयोग काफी सफल साबित हो रहा है।

संदर्भ सूची

1. पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण (संकलन) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, जून–जुलाई, 2003
2. पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के प्रस्तावों का संकलन (जुलाई–दिसम्बर, 2004) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
3. भारत (वार्षिकी), प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
4. योजना प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
5. कुरूक्षेत्र प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
6. राजस्थान विकास (त्रैमासिक) पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
7. पंचायती राज अपडेट (मासिक) इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली।
8. केस स्टडीज इन पंचायती राज इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली 1972
9. रूरल डिवेलपमेंट सेक्टर पॉलिसी पेपर विश्व बैंक, वाशिंगटन, 1975
9. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
10. वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
11. वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, राज. सरकार
12. प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो– ई.गवर्नेंस इन पंचायत्स
13. रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स एण्ड रूरल गवर्नेंस भारत सरकार
14. विकीपीडिया ई.गवर्नेंस
15. विकीपीडिया पंचायती राज
16. इण्डिया पंचायत नॉलेज पोर्टल
17. एकीकृत राज ई.पंचायत पोर्टल
18. आईटी प्लेटफार्म्स एण्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स यूजर्स हैंडबुक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, राज. सरकार
19. एम.वी. माथुर एण्ड इकबाल नारायण (सं.) पंचायती राज प्लानिंग एण्ड डेमोक्रेसी एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1969
20. एस.एल. गोयल एवं शालिनी रजनीश, पंचायती राज इन इण्डिया : थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस
21. सुरेन्द्र कटारिया, (सं.) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003
22. सुरेन्द्र कटारिया, पंचायती राज संस्थाएँः अतीत, वर्तमान और भविष्य नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, सितम्बर, 2007
23. ीजजचरूध्ध्ृण्इपांदमततरंजींदण्हवअण्पद आधिकारिक वेबसाईट
24. एकीकृत राज ई.पंचायत पोर्टल
25. विकीपीडिया ई.गवर्नेंस